

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17, फरवरी, 1986

खण्ड 1 अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भुक्रवार, 2 मार्च, 2012

पृष्ठ संख्या

सदस्य द्वारा भाषण/प्रतिज्ञान	(1)1
राज्यपाल का अभिभाषण— सदन की मेज पर रखी गई प्रति	(1)1
भोक प्रस्ताव	(1)16
अध्यक्ष द्वारा घोषणा—	
(i) पैनल आफ चेयरमैन	(1)24
(ii) कमेटी आन पैटी एन्ज	(1)24
अनुपस्थिति की अनुमति	(1)25
सचिव द्वारा घोषणा राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	(1)25
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट	(1)26
सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए	(1)29

कागज-पत्र	
ब्रीच आफ प्रिविलेज के मामलों सम्बन्धी प्रिविलेजिज कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे ा करना तथा अन्तिम रिपोर्ट पे ा करने के लिए समय बढ़ाना-	
(i) 24-5-1982 को राजभवन में हरियाणा के राज्यपाल का कथित अपमान करने, गाली देने तथा बल-प्रयोग करने के लिए चौधरी देवी लाल, एम, एल0 ए0 के विरुद्ध	(1)30
(ii) 24-6-1982 को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के वसर पर उनके कथित अवचार सम्बन्धी चौधरी देवी लाल,एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध	(1)30
(iii) चौधरी हरद्वारी लाल, उप-कुलपति, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी रोहतक के विरुद्ध	(1)31
(iv) 16-9-1985 के दैनिक इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक समाचार के सम्बन्ध में डा0 भीम सिंह दहिया, एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध	(1)32

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 17 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 15-30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

सदस्य द्वारा भाषण/प्रतिज्ञान

Mr. Speaker: Shri Devi Lal, who had been elected in the by election from 31-Meham Assembly Constituency of the Haryana Legislative Assembly held on the 25th September, 1985, and was to make and subscribe the oath/affirmation of allegiance to the Constitution, is not present.

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोसीजर एंड कडक्ट आफ बिजनैस के रूल 18 के अनुसार मैंने आपको यह सूचना देनी हैं कि कांस्टीच्यू टन के अर्टिकल 176 (1) के अनुसार राज्यपाल महोदय ने आज 17 फरवरी, 1986 को 2.00 बजे बाद दोपहर हरियाणा विधान सभा के सामने ऐड्रेस देने की कृपा की हैं।

ऐड्रेस की एक कापी टेबल आफ दी हाउस पर रखी जाती हैं।

“ अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यगण,

मुझे हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम अधिवेशन में आप सब का स्वागत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है।

2. इस अधिवेशन में आप मुख्य रूप से बजट तथा आर्थिक विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस कार्य को अत्यन्त मित्रता तथा परस्पर तालमेल के वातावरण में तथा हरियाणा के लोगों के उत्तम हितों में सम्पन्न करेंगे। हमारे राज के कल्याण में वृद्धि के लिए नीतियों को दिशा निर्देश और कार्यरूप देने हेतु आपके विचार-विमर्श से मेरी सरकार को बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलेगा।

3. मेरी सरकार अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रगति की गति को बनाए रख सकी है, ताकि विकास के लोभ अधिक से अधिक लोगों को विशेषकर गरीब से गरीब व्यक्तियों को, उपलब्ध कराए जा सकें।

4. समूची आर्थिक उन्नति तथा प्रगति लगातार प्राप्त करने के साथ-साथ मेरी सरकार इस राज्य को हमारे एक पड़ोसी राज्य में अशांति तथा हिंसा से, प्रभावित न होने देने में सफल रही है। हरियाणा सदा ही राष्ट्रीय अखंडता के बनाए रखने और

उसे सुदृढ़ बनाने के लिए अपना योगदान करने के प्रति अपनी पूरी भाक्ति लगात रहा हैं तथा अपनी आकाक्षाओं को इस ओर निदिष्ट करता रहा हैं। इसलिए मेरी सरकार ने 24 जुलाई, 1985 के राजीव-लौंगवाल समझौते का स्वागत किया। भारत सरकार ने चण्डीगढ़ के बदले में, जिसे 26 जनवरी, 1986 को पंजाब को अन्तरित किया जाना था, हरियाणा को हिन्दी-भाशा क्षेत्र देने का निर्णय करने के लिए मैथ्यू आयोग की स्थापना की। मेरी सरकार ने मैथ्यू आयोग के सामने अपना पक्ष बड़े जोरदार एंग से पे किया, जिसके फलस्वरूप इस आयेग ने फैसला दिया कि न केवल अबोहर तथा फाजिल्का के नगर ही बल्कि उस क्षेत्र के कम से कम 83 गांव भी हिन्दी-भाशा क्षेत्रों के एक साथ अन्तरण के बिना न दिए जाने के तथ्य से ही मेरी सरकार के पक्ष की पूरी तरह पुष्टि हो गई हैं कि चण्डीगढ़ का पंजाब को और उसके बदले हरियाणा को निर्णीत हिन्दी-भाशी क्षेत्र का अन्तरण एक साथ ही होना चाहिए। मेरी सरकार इस सम्बन्ध में राज्य के हितों को सुरक्षित रखने के लिए भरसक प्रयत्न करती रहेगी।

5. यह दुर्भाग्य की बात हैं कि सतलुज-यमुना योजक नहर के निर्माण में, जो कि राजीव-लौंगवाल समझौते के अनुसार 15 अगस्त, 1986 को पूरा होना हैं, हरियाणा द्वारा इस परियोजना के लिए धन का अपना हिस्सा लगातार दइते रहने के बावजूद भी, पंजाब सरकार द्वारा अनुचित देरी करा दी गई हैं। मेरी सरकार इस मामले में सदा चौकस रही और इस नहर को भीघाति पीघ

पूरा करवाने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं। भारत सरकार ने रावी-व्यास जल में जंजाब तथा हरियाणा का हिस्सा नियत करने के लिए इराडी अधिकरण (ट्रिब्यूनल) स्थापित किया है। मेरी सरकार अधिकरण के सामने अपने केस (पक्ष) की कारगर ढंग से पैरवी करेगी ताकि राज्य को पूरा न्याय मिल सके।

6. कानून तथा व्यवस्था, भ्रान्ति तथा स्थिरता किसी राज्य की प्रगति के लिए आवयक हैं। मेरी सरकार सभी में साम्प्रदायिक सद्भावना मैत्री बनाए रखने तथा हरियाणा में प्रत्येक नलागरिक को सुरक्ष की भावना प्रदान करने के लिए वचनवद्ध हैं वर्ष 1985 के दौरान, हमारे पड़ोसी राज्य में असामान्य तथा अ भ्रान्तिपूर्ण स्थिति का हमारे राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सभी समुदाय एक दूसरी के साथ पूर्ण सद्भावना के साथ रहते रहे। सरकार राज्य में अल्पसंख्यक वर्गों के मनो में सुरक्षा तथा विवास की भावना भरने में सफल रही।

अपराध की स्थिति पूरी तरह काबू में रही। ट्रांसिस्टर बमों से कायरतापूर्ण हमला करने वाले अपवराधियों को भीघ्र ही पकड़ लिया गया। अघन्य अपराधों तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को दबाने के लिए विशेष यत्न किए जा रहे हैं। पुलिस को आधुनिक बनाने के कार्यक्रम से अधिक कार्यकुशलता आएगी तथा लोगों की अधिक सेवा हो सकेगी। हरियाणा में अपराध अभिलेख कार्यलय (क्राइम रिकार्ड ब्यूरो) स्थापित करने का प्रस्ताव

हैं, जिसका अध्यक्ष एक वरिष्ठ अधिकारी होगा। इसमें राज्य में अपराधों की सफाई में सुधार होगा।

7. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा ने अपनी अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर वृद्धि की है। उपलब्ध अनुमानों से पता चलता है कि 1984-85 में राज्य की आमदनी बढ़कर 1562 करोड़ रुपये हो गई जो 1983-84 की आय के मुकाबले में 4.1 प्रतिशत बढ़ती को दर्शाती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सातवीं पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इन सिद्धान्तों में प्रगति, समानता, समाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, उन्नत कार्यकुशलता तथा उत्पादकता शामिल हैं। वार्षिक योजना 1986-87 के लिए 525 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। सिंचाई तथा बाढ़ की रोकथाम के क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है। इसमें सतलुज यमुना योजना नहर के लिए 90 करोड़ रुपये शामिल हैं जिसे भीष्माति भीष्म पूरा किया जाना है ताकि राज्य की प्यासी धरती को सिंचाई की सुविधा मिलनी आरंभ हो जाए।

8. 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करना मेरी सरकार की विकास नीति का बुनियादी पहलू है। आर्थिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1985-86 के लिए 67588 परिवारों के निगमों के मुकाबले में जनवरी, 1986 तक 52136 लाभ प्राप्त करने वालों को सहायता दी गई। इनमें से अनुसूचित जातियों के 32077 परिवार

थे। आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत ही 414.83 लाख रुपए की इमदाद दी गई और 923.49 लाख रुपए के ऋण बांटे गए। वर्ष 1985-86 के लिए एन० आर० इ० पी० (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) तथा आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत क्रम 1: 11 लाख तथा 8.60 लाख श्रम दिनों का काम निकालने का नि गाना था। और उसके मुकाबले में जनवरी, 1986 के अप्त तक क्रम 1: 9.75 लाख श्रम दिनों तथा 9.58 लाख श्रम दिनों का काम निकाला गया। गन्दी बस्तियों में वर्ष 1985-86 के लिए 40 हजार के नि गाने के मुकाबले में जनवरी, 1986 तक 61627 व्यक्तियों के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया गया। पीने के साफ सुथरे पानी की सप्लाई-सुविधाएं देना सरकार का एक प्रथमिक कार्यक्रम हैं और 1985-86 सुथरे पानी की सप्लाई-सुविधाएं देना सरकार का एक प्राथमिक कार्यक्रम हैं और 1985-86 के लिए समया वाले 590 गांवों के नि गाने के मुकाबले में चालू वर्ष के पहले दस महीनों में समस्या वाले 450 गांवों को ये सहूलतें दी गईं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के लिए नसबन्दी व नलबन्दी के लिए एक लाख केसों का नि गाना नियत किया गया हैं। इसके मुकाबले में जनवरी, 1986 तक 80,908 नसबन्दी व नलबन्दी आप्रें गन किए गए। मेरी सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता रहेगा।

विकास क्रियाकलापों के बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि हो जाने से, संस्थागत ऋण की जरूरत बढ़ गई है। गरीब से गरीब व्यक्ति को ब्याज की रियायती दर 4 प्रति शत पर ऋण देने का राज्य में स्तर 1.86 प्रति शत तक पहुंच गया है, जबकि राष्ट्रीय नि ाना एक प्रति शत है। 1980-84 के दौरान, राज्य में सभी क्रियाकलापों के लिए कुल 2790 करोड़ रूपए का ऋण दिया गया। मुझे आ ा है कि बैंक, राज्य के लोगों की कर्ज की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करते रहेगे।

9. हमारे समूचे विकास का मुख्य आधार बिजली-क्षेत्र है, जिसकी सफलता आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त जरूरी है। मेरी सरकार का इस क्षेत्र में मांग-पूर्ति अन्तर को समाप्त करने के लिए और भी अधिक जोर देने का प्रस्ताव है। मूल नीति नए बिजली संयंत्र चालू करने और वर्तमान संयंत्रों के कार्य में सुधार लाने की है। कई नई परियोजनाएं चालू की जा रही हैं। पानीपत थर्मल परियोजना की दुसरी अवस्था के अन्तर्गत 110 मेगावाट का पहला यूनिट वाणिज्यिक तौर पर काम करने के लिए मार्च, 1986 के अन्त तक तैयार हो जाएगा। पानीपत थर्मल परियोजना में होने वाला है। इसी प्रकार 8-8 मैगावाट वाले 2 यूनिटों वाली पि चमी यमुना नहर परियोजना के अन्तर्गत बिजली घर "ए" की अगले मास के दौरान चालू होने की पूरे जोरों पर है। पानीपत थर्मल परियोजना के तीसरे चरण के 210 मैगावाट वाले एक यूनिट का कार्य सन्तोशजनक रूप से चल रहा है और यह वर्ष 1987-88 के

दौरान चालू हो जाएगा। राज्य में बिजली पैदा करने की क्षमता और अधिक बढ़ाने के लिए, यमुनानगर थर्मल परियोजना को भी हाथ में लिया जा रहा है, जिसमें 210-210 मैगावाट वाले 2 से 4 यूनिट हो सकते हैं। इस परियोजना से बिजली उत्पादन के लाभ चालू योजना अवधि के अन्त तक तथा अगली योजना के प्रारम्भिक वर्षों में मिलने की संभावना है।

10. मेरी सरकार भाखड़ा संव्यूह से संचति जल के आधार पवर हरियाणा का हिस्सा तथा आनन्दपुर साहिब, भाहपुर कंडी, थीन बांध, मुकेरियां पनबिजली तथा अपर बारी देआब नहर अवस्था-II परियोजना में भी हरियाणा का हिस्सा नियत करने के लिए केन्द्रीय सरकार पर जोर दे रही हैं। भारत सरकार द्वारा परमाणु बिजली संयंत्र के लिए स्थान निश्चित करने हेतु नियुक्त स्थल चयन समिति ने हरियाणा में स्थान पहले ही देख लिया है और मेरी सरकार, भारत सरकार के साथ इस मामले की पैरवी कर रही है। नाथपा झाखड़ी परियोजना से भी हमारे राज्य का बिजली का कम से कम 35 प्रतिशत निश्चित हिस्सा प्राप्त करने के बारे में भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और बाद में हरियाणा में बिजली की कमी को दूर करने के लिए पलबल, भिवानी, मुनक, हिसार, नरवाना तथा पानीपत में प्रत्येक 210-210 मैगावाट की स्थापित क्षमता वाले थर्मल बिजली संयंत्रों के लिए नई परियोजना रिपोर्ट भी, जो कुल मिलाकर 2520 मैगावाट की हैं, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अनुमोदन हेतु तथा

आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं।

फरीदाबाद और पानीपत के थर्मल बिजली-घरों के नवीकरण और आधुनिकीकरण द्वारा वर्तमान बिजली उत्पादन यूनिटों की कार्य कुशलता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यह कार्य 1985 के दौरान शुरू किया गया था।

11. बिजली के प्रभावी वितरण के लिए, राज्य की वर्तमान पारिणाम प्रणाली को, नये उप-स्टेशन बनाकर तथा वर्तमान उप-स्टेशन की क्षमता बढ़ाकर निरन्तर सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्ष 1985 के दौरान, एक 220 केवी उप-स्टेशन को, दो 132 केवी उप-स्टेशन को एक को एक 66 केवी उप-स्टेशन को और आठ नये 33 केवी उप-स्टेशन तथा दो 132 केवी उप-स्टेशन को अगले दो तीन महीनों में चालू किये जाने की सम्भावना है। अब तक वर्तमान तीस उप-स्टेशन की क्षमताएं बढ़ा दी गई हैं। भाभा पन-बिजली परियोजना (हिमाचल प्रदेश) और पंचकूला के बीच एक 220 केवी लाइन निर्माणधीन है और इस परियोजना के बिजली उत्पादन के लाभ राज्य को उपलब्ध हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त, देहरादून और भिवानी के बीच एक 400 केवी लाइन पूरे जोरों से निर्माणधीन है ताकि राज्य को अतिरिक्त बिजली पहुंच सके। वर्ष 1986-87 के दौरान, 3000 औद्योगिक और 12000 नलकूपों को

कनैव न देने के इलावा 60000 नये समान्य कनैव नों को बिजली देने का प्रस्ताव है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजनागत परिव्यय का एक बड़ा भाग बिजली क्षेत्र के लिए निश्चित किया गया है। इस अवधि के दौरान, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने, पारेशन प्रणाली को मजबूत बनाने और नये कनैव न को बिजली देने का प्रस्ताव है।

12. कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की सफलता का रहस्य सिचाई ही है। हरियाणा के विस्तृत सूखे क्षेत्रों की सिचाई के कारण ही राज्य में खुहाली आई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में बड़ी तथा मांझली सिचाई स्कीमों के लिए 408.28 करोड़ रुपये को योजनागत परिव्यय नियत किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, सिचाई अधीन क्षेत्र 22.44 लाख हेक्टेयर होगा। सिचाई की क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए, सभी नहरों और किसानों के जलमार्गों को पक्का करने की एक स्कीम बनाई गई है। इस प्रकार इस वर्ष परिरक्षित जल द्वारा 23000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिचाई हो सकेगी। समूची परियोजना से अब तक जलमार्गों के 14500 किलोमीटर क्षेत्र को पक्का किया जा चुका है। आगामी वर्ष के लिए नहरों के आधुनिकीकरण के लिए 28 करोड़ रुपये की रकम रखी गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस सम्बन्ध में 113 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

जे० एल० एन० (जवाहर लाल नेहरू) नहर तथा लोहारू उठान सिंचाई स्कीम का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और आगामी वर्ष में 2.85 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता हो सकेगी। इस क्षमता का प्रयोग केवल तभी हो सकता है यदि सतलुज-योजक नहर से राज्य को जल मिल जाए।

13. इसलिए सतलुज-यमुना योजक नहर राज्य के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना बन गई है। भारत सरकार ने मेरी सरकार को विवास दिलाया है कि नहर का निर्माण, जो इस समय पंजाब के क्षेत्र में रुका है, फिर से आरम्भ कर दिया जायेगा ताकि हरियाणा को जल-स्रोतों से अपना जायज हिस्सा मिल सके। मेरी सरकार जुलाई, 1985 के राजीव-लॉंगोवाल समझौते के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा सतलुज-यमुना योजक नहर को 15 अगस्त, 1986, तक पूरा कराने के अपने उद्देश्य की लगातार पैरवी कर रही है।

14. राज्य में बाढ़ के खतरे वाले स्थानों पर बाढ़ सुरक्षा के निर्माण कार्य पूरे किये जा रहे हैं। मसानी बांध की अगले वर्ष पूरे होने की सम्भावना है। इससे महेन्द्रगढ़, गुडगांव और रोहतक जिलों के बहुत अधिक क्षेत्र साहिबी नदी की बाढ़ से बच जायेंगे। बाढ़ की रोकथाम के उपायों के फलस्वरूप बाढ़ के खतरे वाले कुल 18 लाख हैक्टेयर में से, लगभग 16 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ नियंत्रण उपाय जुटाये गये हैं। 15 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के बचाव के लिये वर्ष 1986-87 के दौरान बाढ़ नियंत्रण, जल

निकास तथा सेम रोकने वाली स्कीमों के लिये 12 करोड़ रुपये की रकम रखी गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन स्कीमों के लिए 75.69 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, जो राज्य में बाढ़ के खतरों वाले भाग प्रति पाठ क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगी।

15. राज्य की अर्थ व्यवस्था में कृषि मुख्य आधार चली आ रही है और मेरी सरकार कृषि उत्पादन को सबसे अधिक महत्व देती है। हरियाणा कृषि विविद्यालय द्वारा नई टेक्नोलॉजी के विकास, कृषि विस्तार एजेन्सियों की मार्फत इस टेक्नोलॉजी का आगे प्रयोग, खेती में डाले जाने वाले पदार्थों की सुलभता तथा बिक्री में सहायता से प्रकट है कि खेतीबाड़ी हरियाणा में नई ऊंचाइयों को छू गई है। अनुकूल बरसात तथा मौसम के अच्छे होने के कारण वर्ष 1984 के 13.63 लाख टन की उपज के मुकाबले में अब धान की 16.42 लाख टन की अभूतपूर्व रिकार्ड उपज हुई है। अब तक के उपलब्ध अस्थायी आंकड़ों से प्रकट होता है कि इस रबी के दौरान चनों की बिजाई का रकबा काफी बढ़ गया है। रबी की विभिन्न फसलों के लिए उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की सम्भावना है। 1986-87 के लिए अनाज के लक्ष्य 77.65 लाख टन नियत किए गए हैं। गन्ना, तिलहन तथा कपास के लक्ष्य क्रमशः 6.30 लाख टन, 2.62 लाख टन तथा 8.30 लाख गांठे नियत किए गए हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के किसानों को अधिक उपज देने

वाली किस्मों के प्रमाणित बीज, रासायनिक खादें, प्रभावकारी पौधर संरक्षण विधियां जुटाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

16. गत वर्षों की भान्ति, 1986-87 में भी बागवानी और सब्जी-उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के क्षेत्र में, वर्ष 1986-87 के दौरान भी 2500 बायोगैस संयन्त्र लगाए जायेंगे। राज्य में खेती बाड़ी की बढ़ी हुई पैदावार को कारगर ढंग से बेचने हेतु मेरी सरकार की योजना है कि वर्ष 1986-87 में सात नई मार्केट कमेटियां बनाई जाएं और 29 नये सब-मार्केट यार्ड और 30 खरीद केन्द्र स्थापित किए जाए। ये वर्तमान 93 मार्केट कमेटियां, 146 विकसित सब-मार्केट केन्द्र स्थापित किए जाए। ये वर्तमान 93 मार्केट कमेटियों, 146 विकसित सब-मार्केट यार्डों और 107 खरीद केन्द्रों के अतिरिक्त होंगे। सातवी योजना में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में भारी वृद्धि होगी।

17. मेरी सरकार के पास कृषि के साथ-साथ अन्य सहायक व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, पशुपालन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य दूध, अंडो और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, वर्ष 1986-87 के दौरान, 40 नई पशु-चिकित्सा डिस्पेंसरियां खोले जाने के लिए, और विद्यमान 30 पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों का दर्जा बढ़ाकर पशु-चिकित्सा अस्पतालों में बदलने का प्रस्ताव है। राज्य पशु टीका संस्थान को सुदृढ़ किया जायेगा और अधिक दूध देने वाले

पुआओं की उत्पत्ति के लिए अभिहित सीमन तकनीको का स्थान जड़ीकृत सीकन टैक्नोलाजी ले लेगी। चारा उत्पादन कार्यक्रम के अधीन 7000 परिवारों को 50 प्रति त लागत पर चारे की मिनी किटें मुहैया की जाएगी।

18. नीली क्रांति को आरम्भ करने के लिये, मेरी सरकार ने मछली पालन के विकास हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 750 लाख रूपए नियत किए हैं। वर्ष 1986-87 में 13500 टन मछलियां और 250 लाख मछली-बीज उत्पादित करने का प्रस्ताव है। इससे अनुसूचित जातियों के 360 परिवारों को लाभ होगा और 1065 व्यक्तियों को प्रिक्षण तथा रोजगार मिलेगा जिसके लिए वर्ष 1986-87 के लिए राज्य योजना में 168 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, मछली पालन को अपनाने से 5000 व्यक्तियों को रोजगार मुहैया किया जाएगा। उपलब्ध जल-स्रोतों के बेहतर उपयोग के लिए, एक और मछली-पालक विकास एजेंसी हिसार में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

19. खेती बाड़ी की पैदावार निजी रोजगार, खेती उपज के वितरण तथा विक्रय उपभोक्ता सामान की लगातार सप्लाई को सुनिश्चित करने, दूध के विक्रय, कृषि पर आधारित संसाधन-यूनिट कायम करने और समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के क्षेत्र में सहकारी समितियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। आने वाले वर्ष में, 220 करोड़ रूपया

प्राथमिक सहकारी ऋण के रूप में दियसा जायेगा। हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक वर्ष 1986-87 के दौरान अपने 62 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको के माध्यम से 60 करोड़ रूपए का ऋण देगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, आवास-सहकारी समितियों अपने िखर निकाय के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के वास्ते 150 लाख रूपए की वित्तीय सहायता देंगी। हरियाणा राज्य सहकारी सप्लाई तथा विपणन संघ का वर्ष 1986-87 के दौरान दाल और चावल मिलों की स्थापना का प्रस्ताव हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन, डेरी विकास संघ और दूध सहकारी समितियों द्वारा दूध संग्रहण तथा वितरण प्रणाली कि ढाचें को मजबूत बनाने के लिए 466.26 लाख रूपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। गोहाना, भूना और कैथल में तीन नई सरकारी चीनी मिलों के लिए लाइसेंस देना भारत सरकार के विचारधीन हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, सहकारी क्षेत्र के लिए रखे गए, 3926 लाख रूपए के कूल योजनागत परिव्यय में से 812.69 लाख रूपये अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु होंगे।

20. राज्य में वनों के लिए भूमि की उपलब्धता की कमी और खेती से बड़े दबाव के कारण वन बहुत कत रह गए हैं। इसलिए हरियाणा ने एक जोरदार वन-नीति बनाई हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, वन लगाने के लिए 6400 लाख रूपए रखे गए हैं जिसके फलस्वरूप 1.22 लाख हैक्टेकर भूमि वनों के

अधीन लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, फार्म वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत 412.5 लाख पौधे लगाए जायेंगे। इससे 250 लाख श्रम दिनों का काम मिलने की आशा है। आने वाले वर्ष में, वनों तथा जंगली जीव विकास कार्यक्रम के लिए 1145 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। इसमें 9.50 करोड़ पौधों की पैदावार और 22000 हेक्टेयर को वनों के नीचे लाए जाने का निश्चय शामिल है। इससे 50 लाख श्रम दिनों का काम मिल सकेगा। 33 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की जा रही वि. व. बैंक सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यरूप देने के चार वर्ष पहले ही पूरे हो चुके हैं और वर्ष 1986-87 के दौरान, निश्चयों को पूरा कर लेने की सम्भावना है।

21. राज्य के जिलों में चल रही विभिन्न विकास कार्यक्रमों से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम (एन० आर० ई० पी०) का भी जिक्र किया जाना चाहिए जिससे पायदार सामुदायिक परिसम्पत्तियों बनाने के साथ-साथ गरीब देहाती लोगों को लाभदायक रोजगार भी मुहैया होता है। चालू वर्ष में अब तक 9.75 लाख श्रम दिनों का काम पैदा किया जा चुका है। 1986-87 में 13.26 लाख श्रम दिनों का काम निकलने की आशा है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के जिसका समूचा खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाता है, फलस्वरूप जनवरी, 1986 तक 9.58 लाख श्रम दिनों को भारी मात्रा में काम भी मिल पाया है। 1986-87 में इस स्कीमों के अधीन 9.42 लाख श्रम दिनों का काम

निकालने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत गांव में एक भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन तक के लिए रोजगार मिल सकता है। 300 शिक्षण पाठ्यक्रमों और उन्नत चूल्हों के प्रदर्शन की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत एक लाख उन्नत चूल्हों के बनाने के लिए 1986-87 के बजट में 85 लाख रुपये की रकम रखने का प्रस्ताव है।

22. मेरी सरकार मेवात क्षेत्र के उत्थान और उसके समूचे विकास के लिए विशेष रुचि ले रही है। वर्ष 1986-87 में, ग्रामीण पेयजल सप्लाई स्कीमों के लिए 25 लाख रुपया अस्थायी रूप से नियत किया गया है। 400 एकड़ अतिरिक्त भूमि को सुनिश्चित सिंचाई के अधीन लाने का भी प्रस्ताव है। मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से मेवात क्षेत्र के विकास के लिए आगामी वर्ष में 250 लाख रुपये का कुल परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इससे मेवात क्षेत्र और राज्य के दूसरे भागों के बीच वाला क्षेत्रीय असन्तुलन कम हो जाएगा।

23. मेरी सरकार अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्गों और विमुक्त जातियों के कल्याण को सबसे अधिक प्राथमिकता देती रही है। शिक्षा प्रशिक्षण तथा निजी रोजगार के अवसरों को अधिक प्रोत्साहन देने पर बल दिया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, समाज के इन वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर 1070.90 लाख रुपया खर्च किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इनके कल्याण के लिए

3400 लाख रूपये की राशि नियत की गई हैं जो 217 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। आगामी वर्ष में, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और विमुक्त जातियों से सम्बन्धित विभिन्न योजनागत, योजनेतर और विशेष संघटक योजना स्कीमों के अधीन 1033.82 लाख रूपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। पूर्व मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर अवस्थाओं पर छात्रवृत्तियों, शिक्षण-फीसों की प्रतिपूर्ति, विविद्यालय या बोर्ड परीक्षा फीसों की वापसीण मिडल तथा उच्चतर माध्यमिक अवस्थाओं पर पुस्तक-अनुदान, मैट्रिकोत्तर अवस्था द्वारा उनके शिक्षण स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 1986-87 के दौरान 429.78 लाख रूपए रखे जाने का प्रस्ताव है जिससे 204466 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। समाज के इन वर्गों की वित्तीय दृष्टि में सुधार के लिए, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम और हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम ने चालू वर्ष में क्रमशः अनुसूचित जातियों के 15362 परिवारों और पिछड़े वर्गों के 1717 व्यक्तियों को सहायता प्रदान की है।

24. मेरी सरकार, पहले बताए गए के अतिरिक्त, समाज के अन्य कमजोर वर्गों की ओर भी विशेष ध्यान दे रही हैं। इनमें, महिलाएं, बच्चे, विकलांग तथा निराश्रित व्यक्ति भी शामिल हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस क्षेत्र में 3472 लाख रूपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1986-87 में, विभिन्न कार्यक्रमों पर 399 लाख रूपये खर्च किए जाएंगे। इस में पोशाहार

कार्यक्रमों पर खर्च की जानि वाली राशि शामिल होगी। राज्य में 259276 बच्चे, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं 40 सघन बाल विकास स्कीम परियोजनाओं के अन्तर्गत लाभ उठा रही हैं। आगामी वर्ष में लाभ उठाने वालों की संख्या 312648 तक पहुंच जाने की संभावना है। रक्षित महिलाओं की देखभाल के लिए, करनाल में एक आफ्टर केयर होम स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अधीन 40000 लाभ पाने वालों को बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। इस पर 214.92 लाख रुपये खर्च होंगे। वर्ष 1986-87 के दौरान 7600 विकलांग व्यक्तियों को 50 रुपये महीना की दर से पेंशन दी जाएगी। वर्ष 1986-87 में, एक विशेष स्कीम के अधीन निम्न आय वर्गों के भारीरिक्त तौर पर विकलांग 4800 बच्चों को छात्रवृत्तियां देने के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा। मेरी सरकार विभिन्न स्वैच्छिक एजेंसियों को भी सहायता अनुदान द्वारा मदद कर रही है। इन एजेंसियों में रोहतक में एक कृत्रिम अंग केन्द्र, जो भारीरिक्त रूप से विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की व्यवस्था करता है और हिन्द कुश्ट निवारण संघ, जो कुश्ट रोगियों की देखभाल करता है, शामिल हैं।

25. वर्ष 1985-86 के दौरान खाद्य-उत्पादन में विशेष वृद्धि के कारण मेरी सरकार ने 19.60 लाख टन गेहूं की प्राप्ति की है जो अब तक का रिकार्ड है। भारतीय खद्यनिगम ने इस गेहूं की इस मात्रा को नहीं उठया है, जिसके नतीजे के तौर पर इन

स्टाकों के भारतीय खाद्य निगम को अन्तिम रूप से दिये जाने तक भण्डारकरण तथा अनुरक्षण की अतिरिक्त जिम्मेवारी अब राज्य के खाद्य विभाग की हो गई हैं। खरीफ 1984 के दौरान मेरी सरकार ने धान की रिकार्ड खरीद की है। चालू खरीफ में, 7.28 लाख टन धान की खरीद की जा चुकी है। इन आंकड़ों के और बढ़ जाने की संभावना है।

उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में अब सुसंगठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली विद्यमान है। सहकारी एवं प्राइवेट सैक्टरों में उचित मूल्य की 6129 दुकानों का इस प्रकार लाल बिछा दिया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को दो किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जाना पड़ता। डिपो वालों के लिए हकदारी कार्डों की प्रणाली भुरू की गई है ताकि उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में देरी न हो। इस प्रणाली के अनुसार, प्रत्येक डिपो वाला सम्बन्ध विभाग से कोई परमिट मांगे बिना थोक विक्रेता से वस्तुओं का अपना कोटा उठा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार पड़ताल होती रहती है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, चोर-बाजारी और वितरण में अन्य भ्रष्ट कार्यों को समाप्त कर दिया जाए।

26. विकास की विभिन्न स्कीमों में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाती रही है। हरियाणा में हुई औद्योगिक

क्रांति पर राज्य को गर्व हैं। 1966 में 4519 लघु यूनिटों के मुकाबले में अब यह संख्या 60692 तक पहुंच गई हैं। बड़े और मंजले क्षेत्र में 1966 में 162 यूनिटों के मुकाबले में आजकल राज्य में 344 यूनिट हैं। इसके अतिरिक्त अब तक 978 आया-पत्र तथा 554 औद्योगिक लाइसेंस भी दिये जा चुके हैं। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने चुने हुए क्षेत्रों में नकद इमदाद की एक स्कीम घोषित की हैं। यह नकद इमदाद, भूमि, भवन तथा मीनरी पर की गई पूंजी लागत पर दी जाती हैं। जब से स्कीम शुरू हुई हैं, लगभग 1010 यूनिटों को लाभ पहुंचाया जा चुका है और 10.96 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता अब तक स्वीकृत की जा चुकी है

मेरी सरकार नौजवानों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी को खत्म करने पर जोर दे रही हैं, जिनके लिए वर्ष 1977-78 में शुरू की गई ग्रामीण औद्योगिकरण स्कीम संतोशजनक रूप से प्रगति कर रही हैं। वर्ष 1986-87 में, इस स्कीम के अधीन 4050 यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनसे 12150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। "निजी रोजगार स्कीम" के नाम वाली भारत सरकार की एक और स्कीम है जिसमें 25000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका 25 प्रतिशत हिस्सा पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों को सीधी पूंजी इमदाद के रूप में दिया जाता है। वर्ष 1983-84 में शुरू हुई स्कीम के

अधीन, अब तक 12811 उद्यमकर्ताओं को 2154 लाख रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा चुकी हैं।

27. भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत राज्य स्तरीय तकनीकी कमेटी ने वर्ष 1985-87 के दौरान 53 नये इलैक्ट्रानिक उत्पादन कार्यक्रम अनुमोदित किये हैं। इसलिए हरियाणा देश में इलैक्ट्रानिक उद्योग के प्रमुख केन्द्रों में से एक अग्रणी केन्द्र बनने वाला है। भारत सरकार के इलैक्ट्रानिक विभाग के सहयोग से जिला गुडगांव में उद्योग बिहार में हरियाणा इलैक्ट्रानिक विकास, निगम एवं इलैक्ट्रानिक परीक्षण तथा विकास केन्द्र चला रहा है। इसने लगभग 500 इलैक्ट्रानिक यूनितों को स्थापित करने में उत्प्रेरक का कार्य किया है।

28. मेरी सरकार अपने राज्य के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और उनमें वैज्ञानिक स्वभाव डालने के लिए विज्ञान और टैक्नोलाजी प्रयोगों को बढ़ावा देने को उच्चतम प्राथमिकता दे रही है। हरियाणा कृषि विविद्यालय, हिसार में 1.5 करोड़ रूपये की लागत से एक दूरस्थ संवेदन केन्द्र, विज्ञान तथा टैक्नोलाजी विभाग द्वारा कायम किया जा रहा है। यह अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् कृषि, पर्यावरण, मिट्टी, भौगोलिक अन्वेषण में दूरस्थ संवेदन प्रयोगों के सम्बन्ध में एक निखर निकाय के रूप में कार्य करेगा। रायपुर रानी, हिसार-2 और करनाल के तीन खण्डों में समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम भुरू किए गए हैं। पिछले साल 87424 धुआं-रहित चूल्हे लगाए

गए थे। लगभग एक करोड़ रूपये की लागत वाली 20 जल तापन प्रणालियों पर कार्य भुरू किया गया हैं।

29. मजदूरों की कठिनाई को दूर करने के लिए, मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए मजदूरी की दरों के ढांचे को संशोधित कर दिया गया हैं। अब गैर-कारीगर मजदूर की कम से कम मजदूरी 410.50 रूपये महीना या 15.71 रूपये प्रतिदिन हैं तथा खेती मजदूरी 16.71 रूपये प्रतिदिन हैं। गैर-कारीगर ईट भट्ठा मजदूरों की कम से कम मजदूरी दर चालू वर्ष बढ़कर 416 रूपये महीना या 16 रूपये प्रतिदिन कर दी गई हैं। ये दरें देश भर में सब से अधिक हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान विभिन्न कल्याण उपायों के लागू किए जाने से राज्य की श्रम स्थिति में उल्लेख सुधार हुआ हैं।

30. मेरी सरकार देहाती इलाकों के लोगों को रोजगार की इमदाद देने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। दो नये रोजगार दफतर घरौंडा करनाल तथा मातनहेल (रोहतक) में खोले गये हैं। रोजगार दफतरों को आधुनिक बनाने तथा तेज और बढ़िया सेवा सुनिश्चित करने के लिए, सातवीं पंचवर्षीय हैं। वर्ष 1986-87 के दौरान एक रोजगार दफतर को कम्प्यूटर से लैस करने का विचार हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान दो व्यवसायिक निर्देशान यूनितों की स्थापना पंचकूला और हांसी में की जा रही हैं।

31. शिक्षा सभी मानवीय स्रोत विकास कार्यक्रमों की धुरी बन गई है। इसको स्वीकार करते हुए, मेरी सरकार का, गुणवत्ता बनाए रखते हुए, शिक्षा सुविधाओं की सुलभता को और अधिक फैलाने का प्रस्ताव है ताकि वे लोगों को आसानी से प्राप्त हो सकें। अब तक हम 6 से 11 वर्ष के आयु-वर्ग में 96.9 प्रतिशत प्रवेश और 11 से 14 वर्ष के आयु-वर्ग में लगभग 63 प्रतिशत प्रवेश कर सकते हैं। लड़कियों के दाखले के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल लड़कियों के लिए ही 500 प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव है, जिनमें से चालू वर्ष में 100 स्कूल खोले जा चुके हैं और वर्ष 1986-87 में 100 और प्राइमरी स्कूल खोल दिए जायेंगे। आधुनिक समय के साथ कदम मिलाते हुए, कम्प्यूटर शिक्षा के कार्यक्रम 18 स्कूलों में शुरू किए जा चुके हैं। मेरी सरकार का वर्ष 1986-87 में शिक्षा पर कुल मिलाकर 2007 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1986-87 के दौरान लड़कियों का एक कालेज फरीदाबाद में खोलने का प्रस्ताव है जबकि एक और सरकारी कालेज देहाती इलाके में खोला जाएगा। नई शिक्षा प्रणाली पर हाल ही में राज्य भर में विचार-विमर्श हुआ है इस नीति को लागू करने से राज्य में शिक्षा को अतिरिक्त बल मिलेगा। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, वर्ष 1986-87 में 900 केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है, जिनसे 2.10 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा।

32. अनुशासन, साहस, सहन शीलता और नेतृत्व के गुणों का विकास करने में खेल कूद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरियाणा के युवकों में ये गुण भरने के लिए खेलों को बढ़ावा देने और युवकों के कल्याण के लिए 35 स्कीमों लागू की जा रही हैं। इन स्कीमों में स्टेडियमों, जिम्नेजियमों, तैरने के तालाबों जैसी खेलकूद की आधार संरचना के विकास और आधुनिक तथा वैज्ञानिक आधार पर सघन शिक्षण शामिल हैं। चालू वर्ष 1985-86 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य तथा देश के गौरव को चार चांचद लगा दिए हैं। हरियाणा के चार पहलवानों ने अगस्त 1985 में टोकियो में हुई एशियाई जूनियर रैसलिंग चैम्पियनशिप में मैडल जीते। हरियाणा से एक मुक्केबाज ने नवम्बर, 1985 में काठमांडू में हुई एशियाई जूनियर बक्सिंग चैम्पियनशिप में एक स्वर्ण, पदक जीता। दिल्ली में 1985 की राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 16 स्वर्ण पदक 15 रजत और 14 कांस्य पदक जीतकर अपनी धाक जमा दी। राज्य खेल-कूद विभाग और हरियाणा ओलिम्पिक एसोसिएशन ने जनवरी, 1986 के अन्त में रोहतक में नवां खेल-कूद उत्सव संयुक्त रूप से मनाया।

33. राज्य का अतीत के गौरव को परिरक्षित करने का कर्तव्य है। वर्ष 1986-87 के दौरान कुणाल में हड़प्पा कालीन स्थान पर पुरातत्व संबंधी खुदाई शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त 8 वीं से 13 वीं ईस्वी भाताब्दी तक की प्राचीन मूल्यवान मूर्तिया प्राप्त की जा चुकी हैं।

34. मेरी सरकार ने खासकर राज्य के देहाती तथा पिछड़े इलाकों में प्रभावित होने वाले वर्गों में इलाज तथा सेहत की देखभाल की सहूलतों को फैलाने तथा बढ़ाने के लिए लगातार यत्न किए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए 6322 लाख रूपए के परिव्यय का विचार है। वर्ष 1986-87 के लिए, 1228 लाख रूपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 776 उप-स्वास्थ्य केन्द्र, 231 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनमें से 150 उप-स्वास्थ्य केन्द्र, 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 1986-87 में स्थापित करने का प्रस्ताव है। परिवार कल्याण कार्यक्रम लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। भारत सरकार द्वारा रासज्य को तीसरे निरन्तर वर्ष 1984-85 के लिए एक करोड़ रूपये का इनाम दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान बरवाला में एक क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य उपचर्या संस्थान स्थापित किया गया है, जिसमें लोक स्वास्थ्य उपचर्या में दस महीने का डिप्लोमा दिया जाता है।

35. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी बात, सुरक्षित तथा पाईप द्वारा पीने के पानी की सप्लाई की है। सातवीं पंचवर्षीय योजना

में, मेरी सरकार ने ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के लिए 111 करोड़ रूपए की रकम रखी है। इससे सरकार, योजना के अन्त तक समस्या वाले सभी गावों को पीने का पनी उपलब्ध करा सकेगी। चालू वर्ष में, उक्त स्कीम के अधीन 590 गावों को लाया जाएगा। वर्ष 1986-87 में इसके अधीन 310 गावों को लाया जाएगा, जिसके लिए मेरी सरकार 23.39 करोड़ रूपए खर्च करेगी। इसके इलावा 2.67 करोड़ रूपए भाहरी क्षेत्रों में जल सप्लाई और मल-निकास स्कीमों के लिए और राज्य में एक और नगर में मल निकास प्रणाली चालू करने के लिए खर्च किए जायेंगे।

36. मैंने अपने पिछले अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया था कि मेरी सरकार राज्य में 98 प्रति शत सड़को को पक्का कर देने की योजना है। लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और अब पुलों और अन्य सड़क अन्तरालों के निर्माण का कार्य चल रहा है। 39 पुलों पर कार्य पहले ही चल रहा है तथा 33 और पुलों के निर्माण की योजना बना ली है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1834 किलोमीटर और सड़को के निर्माण का प्रस्ताव है। मेरी सरकार ने गांव की लाल लकीर में आने वाले हस्पतालों और महाविद्यालयों जैसी सरकारी संस्थाओं को पक्की सड़कों की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। हरिजन बस्तियों को भी, जो अभी तक पक्की सड़कों के साथ जोड़ी नहीं गई हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन अब जल्दी जोड़ दिया जायेगा। हरियाणा के हिसार बस अड्डा को राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में वर्ष का

सर्वोत्तम भवन का पुरस्कार दिया गया है। प्रगति मैदान में हरियाणा मण्डप को भी इस वर्ष प्रगति मैदान-पुरस्कार दिया गया था, जो कि पहले प्राप्त हुए तीन लगातार पुरस्कारों के सिलसिले की एक कड़ी है।

37. हरियाणा बाहरी विकास प्राधिकरण, राज्य में बाहरी क्षेत्रों की समन्वित योजना तथा विकास कार्य कर रहा है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक लगभग 8,436 रिहायगी प्लॉट तथा लगभग 486 औद्योगिक व वाणिज्यिक प्लॉट अलाट किए जा चुके हैं। राज्य में औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिए गैर-रिहायगी भारतीयों को प्रोत्साहन देने के विचार से, प्रत्येक औद्योगिक सम्पदा में 20 प्रतिशत प्लॉट केवल उन्हें ही अलाट करने के लिए नियत किए जा रहे हैं। योजनावद्ध विकास का विचार बड़े भाहरों तक ही सीमित नहीं है और कैथल भाहबाद, रिवाड़ी, धारूहेड़ा और नरवान जैसे छोटे कस्बों के आस-पास रिहायगी या औद्योगिक क्षेत्रों की योजना बनाने के भी यत्न किए जा रहे हैं।

38. पर्यटकों को सुनियोजित पर्यटक स्थानों पर सुविधाएं जुटा पाने के लिए हरियाणा का नाम देना और विदेशों में प्रसिद्ध रहा है। पर्यटकों की बढ़ रही संख्या की और स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक पर्यटक कांप्लैक्स बनाये जा रहे हैं। दिल्ली-मथूरा राजमार्ग पर बल्लभगढ़ में एक पर्यटक कांप्लैक्स चालू किया गया है। रोहतक के मैना और फरीदाबाद के मुगपाई पर्यटक कांप्लैक्स का विस्तार किया

जा जा रहा है। फरीदाबाद में बड़खल झील पर पर्यटक काम्पलैक्स में कैम्पर्स हट्स और ड्राईव-इन-सिनेमा की भी व्यवस्था की जा रही है। कुरुक्षेत्र में भीघ्र ही एक यात्री निवास तथा एक युवा निवास बनेगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 11 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय मंजूर किया गया है, जिसमें से 138 लाख रुपये 1986-87 के दौरान विभिन्न स्कीमों पर खर्च किये जायेगे।

39. मेरी सरकार ने हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों और इसकी विधवाओं को सम्मनित किया है। इस समय 3,351 स्वतन्त्रता सेनानी, जिनमें भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के 2,394 सैनिक शामिल हैं, वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। इसे अब 100 रुपये महीना से बढ़ाकर 200 रुपये महीना कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा इलाज की सहूलतें और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सहायता भी दी जाती है। इसके साथ-साथ स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों के लिए विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आरक्षण किया गया है और सरकारी नौकरियों में भर्ती के समय भी उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। मेरी सरकार ने 5 वर्ष या अधिक समय के लिए कैद रह चुके स्वतन्त्रता सेनानियों को 7,000 रुपये भी दिये गये हैं।

40. मेरी सरकार भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और बच्चों की ओर पर्याप्त ध्यान देती रही है। इसके लिए कई स्कीमों, रियायतों और सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनको तेजी से बढ़ाया जा रहा

है। उन्हे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सितम्बर, 1986 तक, 30,000 भूतपूर्व सैनिकों को कर्ज प्राप्त करने में सहायता देने का प्रस्ताव है। ऐसे भूतपूर्व सैनिकों और स आस्त्र सैनिकों के जल्दी ही रिटायर्ड (सेवानिवृत्त) होने वाले हैं, प्रि ाक्षण के लिए भूतपूर्व सैनिकों को निज रोजगार के लिए तैयार करना नामक भारत सरकार की एक स्कीम जो संक्षेप में पैक्ससेम के नाम से ज्ञात है वर्ष 1983 में हरियाणा के एक जिले में प्रायोगिक आधार पर भुरु की गई थी। अब तक 150 भूतपूर्व सैनिकों ने जिला महेन्द्रगढ़ के प्रि ाक्षण केन्द्र में विभिन्न व्यवसायों में प्रि ाक्षण पूरा कर लिया है। चालू वर्ष में, भिवानी जिले को भी इस स्कीम के अन्तर्गत लाया गया है। वर्ष 1986-87 में अम्बाला, गुड़गांव, हिसार और रोहतक के चार अन्य जिलों को भी जल्दी ही इसके अन्तर्गत ला दिया जाएगा। अपंग और बूढ़े भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक वृद्ध आश्रम खोलने का भी प्रस्ताव है। झज्जर में एक होस्टल का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 1986-87 के दौरान पंचकुला, अम्बाला, सिरसा, और सोनीपत में सैनिकों विश्राम-गृहों का निर्माण किया जाएगा।

41. चालू वर्ष में अपनी सरकार की उपलब्धियों और आगमी वर्ष के लिए हमारी योजनाओं की मुख्य बातों पर प्रका ा डालते हुए, मैं आपको वि वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार लोगों को संविधान में बताये गए उत्तम जीवन की व्यवस्था करने के लिए भरपूर प्रयत्न करेगी। मुझे वि वास है कि हमारे संयुक्त यत्नों

और आपके प्रबुद्ध विचार विमर्श से हरियाणा के लोगों के लिए अधिक खुशहाली लाने में सहायता मिलेगी। इस विचार-विमर्श के लिए मैं आप सभी को अपनी भुभकामनायें देता हूँ।

भाषक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now a Minister will make obituary references.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह सदन मारीशस के गवर्नर जनरल तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर सिवसागर रामगुलाम के 15 दिसम्बर 1985 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाषक प्रकट करता है।

सर सिवसागर रामगुलाम का जन्म 18 सितम्बर, 1900 को मारीशस में हुआ। उन्होंने अपनी विधि विद्यालय की शिक्षा यूनिवर्सिटी कालेज, लंदन से प्राप्त की वह 1965 से 1968 तक मारीशस के महामंत्री तथा 1968 से 1982 तक प्रधान मंत्री रहे। जनवरी 1984 में वह मारीशस के गवर्नर जनरल तथा कमांडर-इन-चीफ बने। अपने प्रधान मंत्री काल में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा दिया तथा भारत-मारीशस सम्बन्धों को विशेष रूप से सुदृढ़ किया। 1973 में मानव अधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया। वह 1977 में अफ्रिका-अरब शिखर सम्मलेन के वाइस-प्रेसिडेंट थे। वह भारतीय सांस्कृतिक सभा के प्रधान थे तथा उन्होंने इण्डियन कलचरल रिव्यू का सम्पादन किया। वह

1979 में ऑल इण्डिया इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज में माननीय फ़ैलो थे। वह वि व भांति तथा भाईचारे के सिद्धांत में वि वास रखते थे।

उनके निधन से भारत एक महान मित्र की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन उनके भाोक-संतप्त परिवार तथा मरि ास के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद के 10 दिसम्बर, 1985 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाो प्रकट करता है। आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद का जन्म 9 अगस्त, 1905 को जिला रोपड़ के गांव बडाला नवां ाहर में हुआ। 1921 में आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद ने कांग्रेस के स्वयं सेवक के रूप में कार्य आरम्भ किया। उन्होंने हरिजनों, श्रमिकों तथा पिछड़ी श्रेणियों के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उत्थान के लिए पहले हरिजन कार्यकर्त्ता थे जिन्होंने हरिजनों को कांग्रेस के झण्डे के नीचे संगठित किया। उनको गांधी जी तथा सरदार पटेल ने पिछड़े वर्गों में राजनीतिक तथा उन्होंने लाहौर से कुछ समय "हरिजन वीकली" प्रकाशित की। वह 1932 से 1945 तक तथा 1952 से 1965 तक पंजाब दलित वर्ग लीग के अध्यक्ष रहे।

वह वर्ष 1946 से 1950 तक भारत की संविधान सभा तथा इसकी विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वह 1946 में पंजाब विधान सभा के लिए चने गए तथा 1952 तक इसके सदस्य रहे।

वह 1947 से 1949 तक वित्त, शिक्षा, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के), गृह तथा अन्य विभागों के मंत्री रहे। वह 1949 से 1951 तक उप मुख्य मंत्री रहे तथा डा० गोपी चन्द भार्गव की अनुपस्थिति में मुख्य मंत्री का काम भी करते रहे। वह 1958 से 1964 तक पंजाब विधान परिषद के सदस्य रहे। 1967 में वह पुनः पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए। उन्होंने "ई गोपनिशद्" तथा "गीतांजली" का पंजाबी काव्य में अनुवाद किया। 1932 में उनका पैग 'मइन्कलाब' प्रकाशित हुआ तथा इसे तत्कालीन पंजाब सरकार ने जब्त कर लिया। उन्होंने गुरु रविदास पर चार पुस्तकें लिखीं। अन्त तक वह रविदास ग्रन्थ के सम्पादन में व्यस्त रहे।

उनके निधन से देश ने राष्ट्रीय एकता के महान प्रचारक तथा प्रथम पंक्ति के शिक्षविद, एक प्रसिद्ध सांसद, एक समाजिक कार्यकर्ता तथा एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी को खो दिया है। सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री प्रबोध चन्द्र के 8 फरवरी 1986 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री प्रबोध चन्द्र का जन्म 24 अक्टूबर, 1911 को हुआ और सोलह वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन

भारु किया। वह 1927 में नेताजी सुभाश चन्द्र बोस द्वारा देा में चलाए गए विद्यार्थी आन्दोलन के संस्थापक सदस्य थे। 1929 के मुल्तान बम कांड में वह गिरफ्तार हुए। वह 1930, 1932 1934, 1936 में जेल गए तथा 1942 से 1945 तक पुनः जेल में रहे।

1936 में उन्होंने एफ0 सी0 कालेज, लाहौर से इतिहास में एम0 ए0 किया। स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें विभिन्न कालेजों से निश्कासित किया गया और वह उच्चतर शिक्षा प्राप्त न कर पाए। वह 1936 से 1938 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के प्रबन्ध सम्पादक रहे। 1938 में वह विव युवा कांग्रेस बुडाशैस्ट को जाने वोल भारतीय विद्यार्थियों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप से चुने गए परन्तु इससे पहले कि वह इस यात्रा के लिए देा छोड़ें गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री प्रबोध चन्द्र पंजाब विधान सभा में 1945-46 से गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। वह सच्चर मंत्रिमण्डल में मुख्य संसदीय सचिव तथा बाद में कैरो मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे। मार्च 1962 से मार्च 1964 तक वह पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष रहे। वह राम किान मंत्रिमण्डल में भी मंत्री रहे। वह 1970 से 1977 तक लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री प्रबोध चन्द्र विभिन्न पुस्तकों के लेखक थे और उन्होंने दो बार यूरोपीय देशों की संसदीय प्रणालियों के अध्ययन के लिए दौरा किया।

उनके निधन से देश एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी, एक सुविख्यात लेखक एवं अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत नेता के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संयुक्त-पंजाब के भूतपूर्व विधायक श्री नौरंग सिंह के 13 नवम्बर, 1985 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री नौरंग सिंह एक कृता थे। वह 1961 से तथा पुनः 1966 से विरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के सदस्य रहे। वह सिख प्रतिनिधि बोर्ड के प्रेजीडेंट थे।

वह 1952 तथा पुनः 1969 में पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए। उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़कों तथा स्कूलों के निर्माण के लिए कार्य किया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदन प्रकट करता है।

यह सदन तत्कालीन पैपसू विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवत सिंह सिद्ध के 22 जनवरी, 1986 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री भगवत सिंह सिद्ध का जन्म 19 अक्टूबर, 1925 को नाभा में हुआ। वह बी० एससी०, एल० एल० बी० थे। श्री सिद्ध एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी थे। वह कि गेरावस्था में ही प्रजामंडल में भाामिल हो गए। वर्ष 1942 में उन्होंने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में भाग लिया। वह 1947-48 के दौरान नाभा राज्य प्रजामंडल के तथा 1950-52 में पैप्सू प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के जनरल सैक्रेटरी रहे।

वह पंजाब तथा पैप्सू के विलय तक पैप्सू विधान सभा के सदस्य रहे तथा इसकी विभिन्न समितियों के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने संयुक्त पंजाब तथा पैप्सू में प्रान्तीय किसान तथा मुजारा संगठनों के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया। वह 1966 में पंजाब विधान परिषद के सदस्य बने। वह अप्रैल 1983 से सितम्बर 1985 तक पंजाब के एडवोकेट-जनरल रहे।

उनके निधन से देश एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी, अनुभवी राजनीतिज्ञ तथा विधायक की सेवाओं से चंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व विधायक और हरियाणा के प्रमुख आर्य समाज नेता चौधरी बदलू राम के 24 जनवरी, 1986 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

76 वर्षीय चौधरी बदलू राम रोहतक जिले के कनवासी थे। कि गौरवस्था से ही उन्होंने हरियाणा की ग्रामीण जनता में राष्ट्रीयता एवं देश भक्ति की भावनाओं को जगाने में विशेष भूमिका निभाई। वह एक प्रमुख स्वाधीनता सेनानी और पक्के आर्य समाजी थे, जिन्होंने छुआछूत, अनपढ़ता सर्कीण जातीयता तथा अंधविश्वासों जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आजादी से पहले से ही चौधरी बदलू राम विभिन्न विधान-मण्डलों से सम्बन्धित रहे। 1950-51 तथा 1952-57 दौरान वह पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। वह जीवनपर्यन्त अनेकों सामाजिक और भौक्षणिक संगठनों से सक्रिय रूप में सम्बद्ध रहे और उन्होंने हरियाणा में खस तौर पर लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण काम किया।

उनके दुःख निधन से हरियाणा एक प्रमुख स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक एवं अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाव-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास एक सुजै इन आई हैं। कि श्री ओ० पी० दत्ता जर्नेलिस्ट यमुनानगर का नाम भी भाोक प्रस्ताव में भामिल कर लिया जाए।

चौधरी भजन लाल: ठीक हैं जी। उनका नाम भी भाोक प्रस्ताव में भामिल कर लिया जाए। उनका मुख्य पत्रकार के रूप में बहुत ही योगदान रहा हैं। वे बहुत अच्छे इन्सान थे इसलिए उनका नाम भी भामिल कर लिया जाए।

श्री भलेराम (बड़ौदा—अनुसूचित जाति): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो भाोक प्रस्ताव सदन के नेता ने सदन में रखा हैं उसमें मैं भी अपने आपको भारीक करता हूं। जितनी भी महान आत्माएं इस दे आ और प्रदे आ से गई हैं उनमें से एक दो से मेरा भी विशेष सम्बन्ध रहा हैं। जब मैं गर्वनमेंट मिडल स्कूल सीख, करनाल में हैडमास्टर था तो उस समय श्री प्रबोध चन्द्र जी से मिला था। उस समय वह शिक्षा मंत्री थे। जब मैं एक ड्रैपूटे इन की भाक्ल में उनसे मिला था तो उन्होंने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना था उस समय हम उनसे अपने स्कूल को अपग्रेड करने के लिए मिले थे। हालांकि स्कूलों को अपग्रेड कराए जाने का काम आजकल एम० एल० एज० साहेगान का हैं। मेरे कहने का मतलब यह हैं कि उन्होंने हमारे स्कूल को अपग्रेड करने की बात को बहुत ध्यान से सुना और आदे आ दिए कि आपका स्कूल अगले सत्र से मिडल से हाई स्कूल हो जाएगा। इससे साफ जाहिर होता हैं कि उनमें काम करने की कितनी भावना थी।

स्पीकर साहब इसी प्रकार से चौधरी बदलु राम से भी मेरा बहुत सम्बन्ध रहा है। जब मैं दूसरी पार्टी में था उस समय मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था। वे हमें राजनीति साईड की या दूसरी साईड की बहुत अच्छी सलाह देते थे। वे एक बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। उनका पिछड़ी जातियों से विशेष सम्बन्ध रहा है। वे जो बात कहते थे बड़ी सोच समझ कर कहते थे।

इसी प्रकार से मैं आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद के बारे में कहना चाहूंगा कि वे हरिजनों के एक महान नेता थे। उन्होंने अपने समय में समाज सुधार के और दूसरे बहुत से कार्य किए हैं। उन द्वारा किए गए कार्यों को हमें याद रखा जाएगा।

स्पीकर साहब अन्त में, मैं उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्माओं को भान्ति दे।

चौधरी फूल चन्द (अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय सदन के सामने सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं भी इन दिवंगत आत्माओं को अपनी ओर से श्रद्धाजंलि भेंट करता हूँ और भाोक संतप्त परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको यह सदमा बर्दास्त करने की भाक्ति दे और भान्ति दे। आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद से हमारा विशेष सम्बन्ध रहा है। मुझे उनसे कई बार मिलने का मौका

मिला हैं और कई सभाओं में काम करने का मौका मिला हैं। हरिजनों के उत्थान के लिए उनका योगदान रहा हैं। उनका प्रारम्भिक जीवन इसी क्षेत्र से भुरू हुआ था। वे पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर कार्य करते रहे। वे कपाल मोचन मेले में तकरीबन आया करते थे। मेले में वे अपने विचार प्रकट करते थे जिनको सुनकर हम बहुत प्रभावित होते थे। मैं उनसे बतौर विधायक और वजीर के नाते कई बार मिलता रहता था। बड़े दुःख की बात हैं कि आज वे इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। मौत का छाया किसी न किसी समय हरेक व्यक्ति पर आता ही हैं। मैं ऐसे महान व्यक्ति को अपनी ओर से विशेषतौर पर श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और बाकी सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी): आदरणीय स्पीकर सदन के नेता ने जिन महान आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की हैं, मैं भी इस में अपने आपको भामिल करता हूँ। मेरा खास तौर से आर्चाय पृथ्वी सिंह आजाद और श्री प्रबोध चन्द्र जी से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं। श्री पृथ्वी सिंह आजाद जी रोपड़ के रहने वाले थे। रोपड़ ज्वायंट पंजाब के समय अम्बाला जिले की तहसील होती थी। लाला देवराज आनन्द के साथ श्री प्रबोध चन्द्र जी का घनिष्ठ सम्बन्ध था। वे अक्सर श्री आनन्द के पास आते रहते थे। उस समय भी मैं उनसे कई बार मिला हूँ। पिछले 2-3 महीने से वे बीमार चले आ रहे थे। जब वे बीमार थे तो पी जी0

आई० में दाखिल थें उन दिनों में भी पी० जी० आई० में दाखिल था। उनका कमरा भी मेरे कमरे के साथ ही था। उन दिनों हम मिलते रहते थे। उनकी उम्र 80 साल की थी। 80 साल के होने के बावजूद भी उनकी जुबान में बड़ी कड़क थी और बड़ी समझ थी। सही मायनों में वे एक सच्चे आर्य समाजी थे। बीमारी की हालत में भी उनकी यही दुख था कि इस दे 1 के हालात आजकल इतने खराब क्यों हो रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि उनकी भावनाएं चौधरी भजन लाल जी तक पहुंचा दें कि हनिदु और सिक्खों में जो झगड़ा हो रहा है उसाके खत्म कराया जाये। उन्होंने मुझे बताया था कि हिन्दी भाशी क्षेत्रों की गणना का काम मेरे समय में 1951, 1961 1971 और 1981 में भी हुआ है। उनका विचार था कि जो झगड़े आजकल चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी समाप्त कराया जाये ताकि आपक के साथ इन्साफ हो। श्री प्रबोध चन्द्र जी हमारे पक्के दोस्त थे जहां तक उनकी कुर्बानियों का ताल्लुक है वे बचपन से ही कुर्बानी देते रहे। वे सही मायनों में पक्के दे 1 भक्त थे। इसके अलावा, जितने महानुभावों के नाम लिए गए हैं, मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि भेट करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में निवास देकर सुख- शान्ति दें।

चौधरी रो लाल आर्य (छछरोली): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं भी अपनी कुछ भावनाएं इस सम्बन्ध में व्यक्त करना चाहता हूं।

मूल रूप से 6 प्रस्ताव दिवंगत आत्माओं के सम्बन्ध में सदन से पे 1 किए गए हैं। जिन दिवंगत आत्माओं के नाम इस सूचि में दिए गए हैं उनके नाम हैं सर िवसागर रामगुलाम, आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद, श्री प्रबोध चन्द, श्री नारग सिंह, श्री भगवत सिंह सिंद्धू तथा चौधरी बदलू राम। इसके अलावा, 7 वां नाम श्री ओ0 पी0 दत्ता का है जो हरियाणा के एक प्रमुख पत्रकार थे। स्पीकर साहब, जो सभी सात महान आत्माएं हमो बीच में से चली गई हैं, उनको अपनी श्रद्धाजंलि देता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इन सभी महान आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें तथा इन सभी परिवारों को यह दुख सहन करने की भावित प्रदान करें।

स्पीकर साहब, अब मैं चन्द भाब्द श्री ओ0 पी0 दत्ता के बारे में कहना चाहूंगा। श्री दत्ता एक बहुत साधारण परिवार से उठे हुए पत्रकार थे। हम उन्हें सैल्फ मेड कह सकते हैं। जब भी प्रदे 1 में कोई क्राईसिज आए, उन्हानें एक अच्छे पत्रकार के नाते अपनी कलम के माध्यम से दे 1 को और प्रदे 1 सरकार को बहुत अच्छा सहयोग दिया। उनकी अप्रीच हमे 11 रचानात्मक होती थी। पिछले दिनों पंजाब के झगड़ों की वजह से हरियाणा में भी कुछ गर्मी आई थी। खासकर उन दिनों यमुनानगर में भान्ति स्थापित करने में बड़ा योगदान रहा। श्री दत्ता ने हिन्दू-सिक्खों के झगड़ो को दूर कराने के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर बहुत बड़ी कुर्बानी की थी और खुद सारी मुसीबतों को झेला था। उनके

योगदान को मुख्य मंत्री जी ने भी देखा था और सराहा था। वह एक आदर्श नागरिक थे। मैं ऐसी महान आत्मा को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो भाषण प्रस्ताव सदन में रखा है, उस सम्बन्ध में मैं भी कुछ भाषण कहना चाहूँगा। मैं खासतौर से आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद के बारे में कहना चाहूँगा उनसे मुझे कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे एक सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रा सेनानी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में हरिजनों, पिछड़े हुए तथा बेसहारा लोगों को ऊपर उठाने के लिए अथक प्रयत्न किए। उन्होंने काफी साल पहले शिक्षा मिला हिल्ज में लीडरशिप कैम्प लगाया था। उन्होंने डाक्टर भगवान सिंह जो पंजाब के बहुत बड़े रैवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने अमेरिका में काफी सालों तक भारत को आजाद कराने के लिए काम किया था, उनके साथ भी एक लीडरशिप कैम्प ज्वायंट पंजाब में लगाया था। आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद ने नौजवान लड़कों को प्रेरित किया कि वे समाज के उत्थान के लिए कुछ काम करें तथा पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको उपर उठाने के लिए काम करें। अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े योग्य समाज सुधारक, शिक्षा बिद और अच्छे इन्सान के हमारे बीच में से चले जाने से यह स्वाभाविक है कि हरेक व्यक्ति को इसका अफसोस होगा।

स्पीकर साहब, इसी तरह से श्री प्रबोध चन्द्र जी लगातार पंजाब के एक अग्रणी नेता रहे हैं। जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान वे जेल भी गए। वे काफी सालों तक शिक्षा मंत्री भी रहे उन्होंने अपने समय में शिक्षा के मामले में ऊपर के स्तर से लेकर नीचे के स्तर तक काफी सुधार किए। उन्होंने शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने अपने समय में एक सच्चे और सही समाज की कल्पना की थी। अन्त में मैं इन सभी बड़े-बड़े नेताओं को, जो हम से बिछुड़ गये श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनकी आत्माओं को भ्रान्ति दे और उनके परिवारों को यह दुःख सहन करने की भावित प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज पिछले सैंतान के बाद कई इम्पोर्टेन्ट परसनैलटिज इस संसार से चली गई हैं। सर विवसागर राम गुलाम मारी इस के फस्ट प्राईम मिनिस्टर थे वह बाद में गवर्नर जनरल भी रहे। उन्होंने अपने देश को फ्रीडम दिलाने के लिए बड़ा योगदान दिया। इंडिया के साथ फ्रेंडली रिले एन्ज पक्का करने में भी उनका बड़ा हाथ रहा। वह एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर और पोलिटिशियन थे। उन्होंने कई पदों पर अपने देश की सेवा की। उनकी डैथ से इण्डिया ने एक गहरा दोस्त खो दिया है।

आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद ज्वायेट पंजाब में मिनिस्टर थे। वह बैट्रन फ्रीडम फाइटर और आर्य समाज एन्ड डिप्रैस्ड क्लासिज लीग से एसोसिएटेड थे। He was also a member of the Constituent Assembly. उनकी डैथ से नार्थ इण्डिया ने एक डेडिकेटेड सोशल वर्कर और ग्रेट प्रैट्रियट खो दिया है।

श्री प्रबोध चन्द्र भी ज्वायंट पंजाब के जाने माने नेता थे। उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाईफ से ही पोलिटिक्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया था। He took part in freedom struggle and was a close associate of Netaji, Panditji and Maulana Azad. वह पंजाब असैम्बली के स्पीकर तथा लोक सभा के मैम्बर रहे। वह एक बैट्रन फ्रीडम फाइटर और राईटर थे। उनकी डैथ से पंजाब ने एक ग्रेट लीडर व पालियामेंटेरियन खो दिया है।

श्री नौरंग सिंह पंजाब विधान सभा में 1952 से 1969 तक मैम्बर रहे। वह एक एमिनेन्ट सोशल वर्कर थे जिन्होंने अपनी स्टेट की बहुत सेवा की।

सरदार भगवंत सिंह सिद्धू पैप्सू विधान सभा के मैम्बर थे। वह लास्ट ईयर तक पंजाब के एडवोकेट जनरल रहे। वह पंजाब स्टेट्स, प्रजा मंडल क्रिकेट एसोसियेशन एण्ड आयुर्वेदिक डिवैल्पमेंट सोसायटी से एसोसिएटेड रहे। His book 'Sikhs on the Cross Road' was appreciated all over the country. उनकी डैथ

से पंजाब ने एक अच्छा पोलिटिियन तथा सोशल वर्कर खो दिया है।

श्री बदलू राम हमारी हरियाणा स्टेट के एक सोशल वर्कर थे। वह ज्वायंट पंजाब में विधान सभा के लगभग छः वर्ष तक मैम्बर रहे। वह लास्ट मूवमेंट तक पोलिटिक्स में एक्टिव रहे। उनकी सदन डैथ से स्टेट ने एक अच्छा लैजिस्लेटर और वर्कर खो दिया है।

श्री ओ० पी० दत्ता ने भी इस स्टेट में काफी वर्क किया है। इन्होंने खासतौर पर डिस्टरबैन्सिज के दिनों में जो काम किया है, वह काफी सराहनीय है।

मैं इन सब परसनैलिटीज की जिनकी अभी चर्चा हुई है, को हमेज पे करता हूँ और इस हाउस की डीप सिम्पैथिज को विरीवड फ़ैमिलीज तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं हाउस से रिक्वैस्ट करूंगा कि इन डिपाटिंड लीडर्जत की मैमोरी में खड़े हो कर दो मिनट का सइलैन्स आबजर्ब करें।

(इस समय सदन में दिवगत नेताओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

(i) पैनल आफ चेयरमैन

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 13 (1) के अनुसार मैं फालोइंग मैम्बर साहेबान की पैनल आफ चेयरमैन में काम करने के लिए नोमिनेट करता हूं

1. श्री ए0 सी0 चौधरी
2. चौधरी इन्द्र सिंह नैन
3. श्री रोान लाल आर्य
4. चौधरी सुरेन्द्र सिंह

(ii) कमेटी आन पैटी एन्ज

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोसीजर एन्ड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 286 (1) के अनुसार मैं फालोइंग मैम्बरज को कमेटी आन पैटी एन्ज में काम करने के लिए नोमिनेट करता हूं:—

1. श्री वेद पाल, उपाध्यक्ष, पदेन सभापति
2. चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल
3. श्री धर्मवीर गाबा
4. श्री निर्मल सिंह
5. श्री रोान लाल आर्य

अनुपस्थिति की अनुमति

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज मुझे ठाकुर बहादूर सिंह एम0 एल0 ए0 की और से एक टैलीग्राम दिनांक 15-2-86 को मिला है, जो इस प्रकार है 'ILL HEALTH UNABLE TO ATTEND THE SESSION.'

Question is-

That permission for leave of absence for the current Budget Session of Haryuana Vidhan Sabha be granted.

Voices: Yes, yes.

The motion was carried.

सचिव द्वारा घोशणा

राश्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान अब सैक्रेटरी साहब कुछ अनाऊंसमेंट करेंगे।

सचिव: सर, मैं उन विधेयकों को दाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सितम्बर सत्र, 1985 में पारित किये थे तथा जिन पर राश्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

Statement

1. The Haryana Common Purposes Land Eviction and rent Recovery Bill, 1985.

2. The Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill, 1985.

3. The Punjab Cinemas (regulation) Haryana Amendment Bill, 1985.

4. The Haryana Appropriation (No.3) Bill, 1985.

5. The Punjab Town Improvement (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1985.

6. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members_Second Amendment Bill, 1985.

7. The Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities (Amendment) Bill, 1985.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: मैं अब वेरियस बिजनैस के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा फिक्स किया गया टाईम टेबल रिपोर्ट करता हूँ—

“The Committee met at 11.00 A.M. on Monday, the 17th February, 1986, in the Chamber of the Hon'ble Speaker. The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

The Committee further recommends that on Wednesday, the 19th and the 26th February, 1986 the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and afjourn at 6.30 P.M. and on Wednesday, the 5th March, 1986 the Assembly Shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered on the list of Business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the business on 17th to 21st February, 1986. 26th to 28th February, 1986 and 3rd to 5th March, 1986 be transacted by the Sabha as follows:

THE HOUSE WILL MEET IMMEDIATELY HALF ANHOUR AFTER THE CONCLUSION OF THE GOVERNOR'S ADDRESS ON THE 17 TH FEBRUARY, 1986.	1	Oath/Affirmation by a Member.
	2	Laying a copy of the Governr's Address on the Table of the House.
	3	Obituary references.
	4	Presentation and adoption of the First Report of the Business Advisory Committee.

	5	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	6	Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final reports thereon.
Tuesday, the 18 th February, 1986 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Discussion on Governor's Address
Wednesday, the 19 th February, 1986 (2.00P.M.)	1	Question Hour.
	2	Presentation of Supplementary Estimates (Second Instalment) 1985-86 and the Report of the Estimates Committee thereon.
	3	Leave to introduce and introduction of Government Bills
	4	Resumption of discussion on Governor's Address and voting on Motion of

		Thanks.
Thursday, the 20 th February, 1986 (9.30) A.M.)	1	Question Hour.
	2	Non-Official Business.
Friday, the 21 th February, 1986 (9.30) A.M.)	1	Question Hour.
	2	Table of the House, if any.
	3	Discussion and voting on Supplementary Estimates.
Saturday, the 22 nd February,		Off day
Sunday, the 23 rd February,		Holiday
Monday, the 24 th February,		Holiday
Tuesday, the 25 th February,		Holiday
Wednesday, the 26 th February,	1	Question Hour
	2	Presentation of Budget for the year 1986-87
Thursday, the 27 th February, 1986 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.

	2	Non-Official Business
Friday, the 28 th February, 1986 (9.30 A.M.)	1	Question Hour
	2	General Discussion on Budget for the year 1986-87
Saturday, the 1 st March, 1986		Off day
Sunday, the 2 nd March, 1986		Holiday
Monday, the 3 rd March, 1986 (2.00 P.M.)	1	Question Hour
	2	Resumption of general discussion on Budget for the yuear 1986-87 and reply by the Finance Minister.
Tuesday, the 4 th March, 1986 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Discussion and voting on Demands for Grants on Budget fot eh year 1986-87
Wednesday, the 5 th March, 1986 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Motion under rule 15

		regarding non-stop sitting.
	3	Motion under rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine-die
	4	Presentation of Reports of the Assembly Committees.
	5	The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary estimates (Second Instalment) 1985-86
	6	The haryana Appropriation Bill in respect of Budget for the year 1986-87
	7	Legislative Business.
	8	Any other Business, if any.

अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर यह प्रस्ताव करेंगे कि यह हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गयी रिक्मैंडे ान्ज से सहमति प्रकट करता है।

Irrigation and Powr Minister (Chaudhri Shamsheer Singh Surjewala): (16.00 बजे) Speaker, Sir I beg to move-

That this House agrees with the recommendations contained in the Fiorst Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे 1 हुआ—

कि यह हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गयी रिक्मेंडे 1न्ज से सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि यह हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गयी रिक्मेंडे 1न्ज से सहमति प्रकट करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब टेबल आफ दी हाउस पर पेपर्ज ले/री ले करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to lay on the Table-

1. The Haryana Cooperative Societies (Amendment) Ordinance, 1985 (Haryana Ordinance No. 1 of 1985.)

2. The 17th Annual Report and Accounts of the Haryana Financial Corporation for the year 1983-84 as required under section 37(7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

Sir, I also beg to relay on the Table

1. The Transport Department Notification No. G.S.R. 40/C.A. 4/39/S.24/85, dated the 4th May, 1985 regarding the

Punjab Motor Vehicles (Haryana First Amendment) Rules, 1985 as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

2. The Excise and Tazation Depatment Notification No. G.S.R. 27/H.A.20/73/S. 64/Amd. (2) 85, dated the 27th February, 1985, regarding the Haryana First Amendment Rules 1985 as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

3. . The Excise and Taxation Depatment Notification No. G.S.R. 27/H.A.20/73/S. 64/Amd. (3) 85, dated the 27th February, 1985, regarding the Haryana (Third Amendment) Rules 1985 as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

4. The Excise and Tazation Depatment Notification No. G.S.R. 27/H.A.20/73/S. 64/Amd. (2) 85, dated the 10th September, 1985, regarding the Haryana General Sales Tax(Fourth Amendment) Rules 1985 as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

5. The Excise and Tazation Depatment Notification No. G.S.R. 27/H.A.20/73/S. 64/Amd. (5) 85, dated the 17th May, 1985, regarding the Haryana General Sales Tax(Fifth Amendment) Rules 1985 as required under section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

6. The General Administration Department Notificaiton No. G.S.R.4/H.A.9/79/S.8/85, dated the 17th May, 1985 regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) First Amendment Rules, 1985 as

required under section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to members) Act, 1979.

7. The General Administration Department Notificaiton No. G.S.R.45/H.A.3/75/S.8/85, dated the 17th May, 1985 regarding the Haryana Legislative Assembly Speaker and Deputy Speaker's (Advance for Motor-Car) First Amendment Rules, 1985 as required under section 8(2) of the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Act, 1975.

ब्रीच आफ प्रिविलेज के मामलों सम्बन्धी प्रिविलेजिज कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे । करना तथा अन्तिम रिपोर्ट पे । करने के लिए समय बढ़ाना

(i) 24-5-1982 को राज भवन में हरियाणा के राज्यपाल का कथित अपमान करने, गाली देने तथा बल-प्रयोग करने के लिए चौधरी देवी लाल, एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध

श्री अध्यक्ष: अब चौधरी इन्द्र सिंह नैन, एम0 एल0 ए0, चेयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी, 24 मई, 1982 को राज भवन में चौधरी देवी लाल, एम0 एल0 ए0 द्वारा गवर्नर आफ हरियाणा की अलैज्ड इंसल्ट, ऐब्यूज, एंड मैन-हैंडलिंग के इ पू पर कमेटी की आठवीं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे तथा कमेटी की फाईनल रिपोर्ट पे । करने के लिए टाईम एक्सटेंशन का मोशन मूव करेंगे ।

Chaudhri Inder Singh Nain (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Chaudhri Devi Lal, M.L.A. for alleged insulting, abusing and man-handling the Governor of haryana in Raj Bhawan on the 24th May, 1982.

Sir, I beg to move

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे 1 हुआ -

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैंजैट करने के लिए नैक्सट सै इन की फर्स्ट सिंटिंग तक टाइम् एक्सटैंड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं.-

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैंजैट करने के लिए नैक्सट सै इन की फर्स्ट सिंटिंग तक टाइम् एक्सटैंड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) 24-6-1982 को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर उनके कथित अवचार सम्बन्धी चौधरी देवी लाल एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध

श्री अध्यक्ष: अब चौधरी इन्द्र सिंह नैन, एम0 एल0 ए0, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी, 24 जून, 1982 को चौधी देवी लाल, एम0 एल0 ए0 के अलैज्ड-मिस कंडक्ट आन दी ईव आफ गवर्नर्ज एड्रेस टू दी हाउस के इ लू पर कमेटी की आठवीं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे तथा कमेटी की फाईनल रिपोर्ट करने के लिये टाईम एक्सटेंशन मोशन मूव करेंगे।

Chaudhri Inder Singh Nain (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Chaudhri Devi Lal, M.L.A. regarding his alleged misconduct on the eve of Governor's Address to the House on the 24th June, 1982.

Sir I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पेश हुआ—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए नैक्सट सेशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम एक्सटेंड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिंटिंग तक टाईम एक्सटेंड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iii) चौधरी हरद्वारी लाल, भूतपूर्व उप-कुलपति, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी रोहतक के विरुद्ध।

श्री अध्यक्ष: अब चौधरी इन्द्र सिंह नैन, एम0 एल0 ए0 चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी क्वैचन आफ अलैज्ड ब्रीच आफ प्रिविलेज अगेन्स्ट चौधरी हरद्वारी लाल, एक्स-वाइस-चांसलर, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक, फार हिज राईटिंग ए बुकलेट "लैजिस्लेचर जुडीसियरी, प्रैस एण्ड यूनिवर्सिटी, कास्टिंग एस्पॉन्ज आन दी मैम्बर्ज एण्ड लोअरिंग दी इम्मेज एण्ड प्रैस्टिज आफ दी आउस एण्ड इटस मैम्बर्ज के इतू पर कमेटी की सिक्सथ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे तथा कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए टाईम एक्सटेंशन का मोशन मूव करेंगे।

Chaudhri Inder Singh Nain (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Chaudhir Hardwai Lal, Ex-Vice-Chancellor, Maharshi Dhayanand University, Rohtak for his writing a book-let "Legislature

Judiciary, Press and Universities” casting aspersions on the Members and lowering the image and prestige of the House and its Members.

Sir, I also beg to move

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे 1 हुआ—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए नैक्सट से 1 न की फर्स्ट सिंटिंग तक टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए नैक्सट से 1 न की फर्स्ट सिंटिंग तक टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iv) 16.9.1985 के दैनिक इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक समाचार के सम्बन्ध में डा० भीम सिंह दहिया, एम० एल० ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker: Now, Chaudhri Inder Singh Nain, M.L.A Chairman Privileges Committee, question of alleged

breach of privilege against Dr. Bhim Singh Dahiya, M.L.A., in respect of a news item in daily Indian Express dated 16th September 1985, captioned "Lok Dal MLAs refuse to meet the Speaker" casting reflection on the impartiality of the Speaker in the discharge of his duties के ई लू पर कमेटी की फर्स्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रैजेंट करेंगे तथा कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजेंट करने के लिये टाइम एक्सटेंशन का माँगना मूव करेंगे।

Chaudhri Inder Singh Nain (Chairman, Committee of Privileges): Sir I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Dr. Bhim Singh Dahiya, M.L.A. in respect of a news item in edaily Indian Express dated 16th September, 1985, captioned "Lok Dal MLAs refuse to meet the Speaker" casting reflection on the impartiality of the Speaker in the dischargfe of his duties.

I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extented upto the first sitting of the next session.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे गवाह हुआ—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजेंट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिंटिंग तक टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव न है—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजैन्ट करने के लिए नैक्सट सै इन की फर्स्ट सिंटिंग तक टाईम एक्सटेंड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए एडर्जन किया जाता है।

(16.13बजे)

(तत्प चात सदन मंगलवार, 18 फरवरी, 1986 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)